न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः Jodhpur/225RTA/085/2018

1. दीपसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत
2. सुमेरसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत
3. कुंभसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत
4. रतनसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत
5. पुंजराजसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपूत
6. सुआकंवर पत्नी आईदानसिंह राजपूत
7. कालुकंवर पत्नी दीपसिंह राजपूत

निवासीगण गडा, तहसील शेरगढ
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. मानसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत
2. खानुसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत
3. हमीरसिंह पुत्र लालसिंह राजपूत
4. मानसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत
5. पुजराजसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत (गोगादेव)
6. अचेनाकंवर पत्नी जेठूसिंह राजपूत (गोगादेव)
7. लेहर कंवर पत्नी चैनसिंह राजपूत (गोगादेव)
8. छोटूसिंह पुत्र खींवसिंह राजपूत (गोगादेव)
9. खुशबू पुत्री खींवसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिंया भौमकंवर
10. भौमकंवर पत्नी खींवसिंह राजपूत (गोगादेव)
11. भेरूसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत (गोगादेव)
12. मेघसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत (गोगादेव)
13. हेमसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत (गोगादेव)
14. किशनसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत (गोगादेव)
15. मूलसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत (गोगादेव)
16. भंवरकंवर पुत्री पुत्र भूरसिंह राजपूत(गोगादेव)
17. तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ दिनांक 21 मई 2018 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 22/2017 मानसिंह बनाम दीपसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी
रेस्पो. संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर 2019

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 22/2017 मानसिंह बनाम दीपसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 21 मई 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 07 जून 2018 को प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र राजस्व ग्राम गडा तहसील शेरगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 512 तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 512/1 एवं 534/1 में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थनापत्र के संलग्न नक्शे में अंकित ए से बी भाग तक दिलाये जाने हेतु पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर नियमानुसार प्रतिपक्षी को तलब किया गया और संबंधित से मौके की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिपोर्ट तलब की। मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य परस्पर समझाइश से मामला सुलटाने के प्रयास भी किये गये, अन्ततः दिनांक 29 मई 2018 को प्रकरण न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट में पेश होने पर उक्त प्रार्थपत्र स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अप्रार्थीगण द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

अपील दर्ज की जाकर नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ की गयी और निर्धारित विधिक प्रकिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गयी। अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने मामले के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित विन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिनांक 17 नवम्बर 2017 को पेश हुआ, 02 फरवरी 2018 को अप्रार्थी संख्या एक की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, अप्रार्थी संख्या 10, 7, 5, 2 की समुचित एवं सम्यक तामील नहीं हुई। 18 मई 2018 तक मौके की रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई, 21 मई 2018 को प्रकरण कैम्प कोर्ट सांई में पेश हुआ, उस दिन आदेशिका में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई मगर बकाया अप्रार्थीगण की सम्यक तामील के बिना ही मामले में आगामी पेशी दिनांक 29 मई 2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दोनों मौका रिपोर्ट कमशः दिनांक 18 मई 2018 एवं 25 मई 2018 उभय पक्षकारान की उपस्थिति में नहीं बनायी गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विविधत पक्षकारान की सुनवाई कर न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में रेस्पो. के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट्स के खेत तक आवागमन का एकमात्र कम दूरी का रास्ता अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि से होकर ही है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित और विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिववक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन सभी अप्रार्थीगण पर अधीनस्थ न्यायालय में सम्मनों की समुचित सम्यक तामील होना नहीं पाया जाता है।** अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता का वकालतनामा पेश हो गया, मगर अन्य अप्रार्थीगण जैसे अप्रार्थीगण संख्या दस, सात, पांच आदि के मामले में किसी के सम्मन की पुश्त पर आसामी का गांव से बाहर रहना लिखा होता है, तो किसी आसामी के पति का नाम गलत होना बताया गया है। जाहिर है कि सभी अप्राथी पर सम्मनों की तामील सम्मूर्ण नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तोंएवं निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप पारित किया जाना नहीं पाये जाने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 मई 2018 व 29 मई 2018 अपास्त किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाते है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सभी पक्षों का सम्यक तामील सुनिश्चित की जाकर, सभी पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के जरिये तैयार करवायी जाकर, मौके पर खसरा नम्बर स्पष्ट करते हुए तथा वर्तमान जमाबंदी के आधार पर तरमीम की स्थिति स्पष्ट करते हुए पुनः नये सिरे से मामले का निस्तारण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/X/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर